

मोहम्मद मुस्लिम उर्फ हुसैन

बनाम्

राज्य (एन0सी0टी0 दिल्ली)

अपराधिक अपील संख्या -943/2023

28 मार्च, 2023

{एस. रविन्द्र भट एवं दीपांकर दत्ता, जज}

नार्कोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा-37-दं0प्र0सं0 1973 की धारा-436ए.

अपीलार्थी अभियुक्त एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध करने के लिए जो 2015 से हिरासत में है, क्या जमानत का हकदार है- अभिनिर्धारण-गांजे की बरामदगी चार सह अभियुक्तों से की गई थी। अपीलार्थी को सह अभियुक्तों में से एक के बयान पर गिरफ्तार किया गया था।

अभियोजन पक्ष ने उस बयान के साथ-साथ अपीलार्थी के दोष स्वीकारोक्ति बयान पर भी भरोसा किया-इसके अलावा यह सह अभियुक्तों में से एक के बैंक विवरणी पर भी निर्भर था, जिसने कथित रूप से खुलासा किया था कि अपीलार्थी को पैसे हस्तांतरित किये जाते थे-इसके खिलाफ अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी से कुछ बरामद नहीं किया है। आरोप यह है कि वह एक सूत्रधार है, मादक पदार्थों के साथ व्यापक लेन-देन के किसी भी सबूत से समर्थित नहीं है जो उचित रूप से सामने आया हो। इसके अलावा, दो सह अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत पर मुक्त कर दिया गया है-अपीलार्थी सात साल और चार महीना से अधिक समय से हिरासत में है-मुकदमे की प्रगति धीमा गति से चल रहा है, जिसमें तीस गवाहों की गवाही की गई है, और 34 से अधिक गवाह की गवाही की जानी है-मुकदमे में अनुचित देरी के आधार पर जमानत के मंजूरी को धारा-37 की अनिवार्यता को देखते हुए बाधित नहीं कहा जा सकता है।

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के तहत अपराध में भी सी0आर0पी0सी0 की धारा-436ए. का प्रावधान लागू होता है। इस प्रकार तथ्यों पर, अपीलार्थी को ऐसी शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाता है, जो निचली अदालत लागू कर सकती है-विशेष अधिनियम के तहत अपराध-न्यायालयों का कर्तव्य-चर्चा नार्कोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा-37-व्याख्या के तहत विशेष शर्तें-व्याख्या

शब्द और वाक्यांश-दोषी नहीं-चर्चा जमानत। अभिनिर्धारित किया -अपील को अनुमति देते हुए न्यायालय ने

1.1 गांजे की बरामदगी 28.09.2015 'एन.ई' सहित चार सह अभियुक्तों से की गई थी। वर्तमान अपीलार्थी को 'एन.ई' के कथित बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन ने उक्त बयान तथा वर्तमान अपीलार्थी के दोष स्वीकारोक्ति बयान पर विश्वास किया इसके अलावा 'वी.एस.' उर्फ 'बी' द्वारा दिये गये बैंक विवरणी पर भी भरोसा किया, जो कथित रूप से यह खुलासा किया कि पैसा अपीलार्थी को हस्तांतरित किया जाता था, इसके विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी से कुछ बरामद नहीं किया है। यह आरोप है कि वह सूत्रधार है, मादक द्रव्यों के साथ लेन-देन में किसी भी सबूत से समर्थित नहीं है, जो उचित रूप से सामने आया हो, इसके अतिरिक्त अभियोजन ने अपीलार्थी की अन्य किसी मुकदमा में संलिप्तता नहीं दर्शाया। इसके अलावा, गिरफ्तारी के समय वह स्पष्ट रूप से 23 वर्ष के थे। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि दो सह अभियुक्त व्यक्ति (जो छापे के समय मौजूद नहीं थे और जिनसे कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं किया गया था।) - अभियुक्त 'वी.एस.' उर्फ 'बी'. जिसने कथित रूप से गांजा के भुगतान के रूप में अपीलार्थी के खाता में पैसा हस्तांतरित किये थे, और अभियुक्त एन.वाई. उर्फ टी.पी. जिससे मूल बीमा कागजात और कार का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। प्रतिबंधित पदार्थ जप्त किया गया था, जो बरामद किया गया था- दोनों को जमानत पर मुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी सात साल और चार महीना से अधिक समय से हिरासत में है। मुकदमे की प्रगति धीमी गति से हुई है: तीस गवाहों की परीक्षण की गई है, जबकि 34 और गवाहों का परीक्षण की जानी है।[कंडीका 17][709-E;710-A-D]

1.2 अदालतों को प्रमुख शर्तों को ध्यान देना होगा कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त "ऐसे अपराध का दोषी नहीं है" और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। "दोषी नहीं" का क्या अर्थ है, जब सभी सबूत अदालत के समक्ष नहीं हैं? यह केवल प्रथमदृष्टया निर्धारण हो सकता है। यह अदालत के विवेकाधिकार को बहुत कम अंतर के भीतर रखता है। जमानत धारा-436/437/439 दंडप्र0सं0 पर सामान्य कानून के आदेश को देखते हुए, जो अपराधों को उनकी गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत करता है, और निर्देश देता है कि कुछ गंभीर अपराधों से जमानत आवेदनों पर विचार करते समय अलग-अलग तरीका से निपटा जाना चाहिए, अतिरिक्त शर्त यह है कि अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी जो कानून में निर्दोष माना जाता है, दोषी नहीं है, उसकी उचित व्याख्या की जानी चाहिए। इसके अलावा विशेष अधिनियमों एन0डी0पी0एस0 अधिनियम आदि के तहत अपराधों का वर्गीकरण जो अदालतों द्वारा मुल्यांकन की जाने वाली सामान्य जमानत शर्तों के अलावा लागू होती है, इसके लिए आवश्यक है कि अदालत अपना संतुष्टि दर्ज करे कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं हो

सकता है। और यह कि रिहा होने पर, उनके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है, इन दोनों स्थितियों का प्रभाव अन्य स्थितियों पर पड़ता है। ऐसे मामले जिनमें जमानत की मांग की गई है, न्यायालय-अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, अपराध की प्रकृति, अभियुक्त का अनुसंधान में सहयोग की संभावना, न्याय से भागने की संभावना नहीं: यहां तक कि गंभीर अपराध, हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि बातों का मुल्यांकन करती है। दूसरी ओर न्यायालय इस तरह के विशेष मामलों में दो तथ्यों के सिद्धान्त पर स्वयं विचार करेगी जैसे कि अभियुक्त का दोष, जमानत पर मुक्त अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का न करना। यह न्यायालय, सामान्यतः अभिनिर्धारित करती है कि ऐसे शर्तों जिसके आधार पर नागरिकों की स्वतंत्रता-ऐसे मामलों जब अभियुक्त विशेष अधिनियम के अपराध में संलिप्त है। लोकहित के विरुद्ध संतुलन रहे। धारा-37 के तहत शर्तों की व्याख्या यानि की अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी दोषी नहीं है और कोई अपराध नहीं करेगा। प्रभावी रूप से जमानत के अनुदान को पूरी तरह से बाहर कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप दण्डात्मक निरोध और गैर-स्वीकृत निवारक निरोध भी होगा। इसलिए, एकमात्र तरीका जिसमें धारा-37 के तहत अधिनियमित ऐसी विशेष शर्तें हो सकती है जो संवैधानिक मापदंडों के भीतर माना जाता है, जहां अदालत रिकार्ड पर सामग्री [जब भी जमानत आवेदन किया जाता है] पर प्रथमदृष्टया देखने पर यथोचित रूप से संतुष्ट होती है कि आरोपी दोषी नहीं है। किसी भी अन्य व्याख्या के परिणामस्वरूप एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा-37 के तहत अधिनियमित अपराधों के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से पूरी तरह से इंकार कर दिया जायेगा। इसलिए जिस मानक पर विचार किया जाना चाहिए, वह है, जहां अदालत सामग्री को व्यापक और यथोचित रूप से देखेगी कि क्या अभियुक्त का अपराध साबित हो सकता है। अदालतों से जो संतुष्टि दर्ज करने की उम्मीद की जाती है, यानि कि आरोपी दोषी नहीं हो सकता है, वह केवल प्रथमदृष्टया एक उचित अध्ययन पर आधारित है, जो जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच के लिए आवश्यक नहीं है। एन0डी0पी0एस0 के तहत अपराधों पर लागू होने वाली धारा-436ए. की अनिवार्यता को देखते हुए मुकदमे में अनुचित देरी के आधार पर जमानत की मंजूरी को अधिनियम की धारा-37 द्वारा बाधित नहीं कहा जा सकता है। कार्रवाई भी करें। इस मामले के तथ्यों में अपीलार्थी जमानत पर मुक्त होने का हकदार है। अपीलार्थी को जमानत पर मुक्त ऐसी शर्तों तक विस्तार करने का निर्देश दिया जाता है, जो निचली अदालत लागू कर सकती है।

[कंडीका 18-20,24][710-A-G;711-A-H;713-A]

करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य {1994}2 एस.सी.आर. 375

उच्चतम न्यायालय कानूनी सहायता समिति (प्रतिनिधित्व) विचाराधीन कैदी बनाम भारत संघ {1994}6 एस.सी.सी. 731: {1994}4 एस.सी.आर. 386य शाहिन कल्याण एसोसियेशन बनाम भारत संघ {1996}2

एस.सी.सी. 616: {1996}2 एस.सी.आर. 1123य सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम् केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो (2022)10 एस.सी.सी. 51य भारत संघ बनाम् के.ए.नजीब (2021)3 एस.सी.सी. 713य

(2021)2 एस.सी.आर. 443य विजय मदन लाल चैधरी बनाम् भारत संघ 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 929: {2022}6 एस.सी.आर. 282 पर विश्वास करते हुए।

हुस्सनारा खातुन बनाम् गृह सचिव बिहार राज्य (1980)1 एस.सी.सी. 81: {1979}3 एस.सी.आर. 1276य कदरा पहाड़िया एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य (1981)3 एस.सी.सी. 671; अब्दुल रहमान अन्तुले बनाम् आर.एस.नायक (1992)1 एस.सी.सी. 225 {1991} 3 पूरक। एस.सी.आर. 325; मध्य प्रदेश राज्य बनाम् काजद (2001) एस.सी.सी. 673: [2001] सप. 2 एस.सी.आर. 617; वामन नारायण घिया बनाम् राजस्थान राज्य (2009)2 एस.सी.सी. 281: [2008]17 एस.सी.आर. 369;अ एक दोषसिद्ध बनाम् राज्य 1993 क्रिमिनल LJ जार्नरल 3242-संदर्भित।

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, जेल सांख्यिकी भारत-https://ncrb.gov.in/sites/default/files/PSI-2021_Executive_ncrb_Summary-2021.pdf; डोनाल्ड क्लेमर, द प्रिजन कम्युनिटी(1968) होल्ट, राइनहार्ट और विस्टन, जिसका उल्लेख टॉमज़ सओबेककि में किया है, डोनाल्ड क्लेमर की कान्सेप्ट ऑफ प्रिजनाईजेशन उपलब्ध है: https://www.tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Sobecki_sklad.pdf (23 मार्च 2023 को प्राप्त)-संदर्भित।

संदर्भित मामला

{1979}3 एससीआर 1276 संदर्भित किया गया है कंडिका-2

{1991}3 पूरक। एससीआर 325 संदर्भित किया गया है कंडिका-3

{2001}2 पूरक। एससीआर 617 संदर्भित किया गया है कंडिका-11

{1994}4 पूरक। एससीआर 386 उसपर भरोसा किया गया कंडिका-12

{2008}17 एससीआर 369 संदर्भित किया गया है कंडिका-13

{1994}2 एससीआर 375 पालन किया गया कंडिका-13

{1996}2 एससीआर 1123 भरोसा किया गया है कंडिका-13

{2021}2 एससीआर 443

भरोसा किया गया है कंडिका-14

{2022}6 एससीआर 382

भरोसा किया गया है कंडिका-15

अपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: अपराधिक अपील नंबर -943/2023।नंबर-943/2023।पृ943/2023

उच्च न्यायालय नई दिल्ली के बी.ए. संख्या-2675/2022 में दिनांक-08.09.2022 को पारित निर्णय और आदेश से।

सुश्री तान्या अग्रवाल, श्रीमति सुभांगी तुली, अधिवक्तागण-अपीलार्थी की ओर से।

विक्रमजीत बनर्जी ए.एस.जी., श्रीकान्त नीलप्पा तेरदा, सुश्री नचिकेता जोशी , दिग्विजय दाम, सचिन शर्मा, राजन के. चैरसिया, सुश्री श्रुति अग्रवाल, सुश्री जान्हवी प्रकाश, कार्तिक डे., अधिवक्तागण-उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस0रविन्द्र भाट, जज के द्वारा दिया गया।

1. विशेष अनुमति दिया गया। पक्षकारों के अधिवक्ता की सहमति से अन्ततः याचिका की सुनवाई हुई।

2. बहुत पहले, हुसैननारा खातुन बनाम् गृह सचिव, बिहार राज्य में इस अदालत ने घोषणा किया था कि अपराधिक आरोपों का सामना कर रहे अपराधी को मुकदमे का त्वरित विचारण का अधिकार “इस अदालत द्वारा व्याख्या किये गये अनुच्छेद-21 के व्यापक विस्तार और सामग्री में निहित है”। यह टिप्पणी करते हुए कि अनुच्छेद-21 के तहत एक वैध प्रक्रिया है जिसमें एक ऐसी प्रक्रिया शामिल है जो “उचित, निष्पक्ष और न्यायापूर्ण” है। यह निर्धारित किया गया कि “अब स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया “ उचित, निष्पक्ष या न्यायापूर्ण” नहीं हो सकती जबतक कि उस प्रक्रिया के निर्धारण के लिए एक त्वरित विचारण सुनिश्चित करता है। कोई भी प्रक्रिया जो उचित रूप से त्वरित सुनवाई सुनिश्चित नहीं करती है, उसे “उचित, निष्पक्ष या न्यायसंगत” नहीं माना जा सकता है और यह अनुच्छेद-21 की अवहेलना होगी। वहां हो सकता है इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि त्वरित सुनवाई और त्वरित सुनवाई से हमारा मतलब है कि उचित रूप से त्वरित सुनवाई एक अभिन्न और मत्वपूर्ण मुद्दा है। जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अनिवार्य हिस्सा अनुच्छेद-21 में निहित है, लेकिन सवाल यह उठेगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका क्या परिणाम होगा?

एक अपराध के आरोपी को मुकदमा के त्वरित विचारण से वंचित कर दिया जाता है और उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए लंबे समय तक विलंबित मुकदमे के परिणाम स्वरूप कारावास द्वारा स्वतंत्रता से वंचित किया जाना, अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है।

3. ऐसा अवलोकन समय-समय पर कई मामलों में प्रतिध्वनित हुए हैं जैसे कि कदरा पहाड़िया एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य और अब्दुल रहमान अंतुले बनाम् आर.एस. नायक, बाद में न्यायालय ने त्वरित सुनवाई के अधिकार को फिर से निर्धारित किया और आगे कहा कि एक आरोपी के पास, लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे का कोई विकल्प नहीं है:

“राज्य या शिकायतकर्ता उसपर मुकदमा चलाता है, इस प्रकार, यह राज्य या शिकायतकर्ता का दायित्व है कि वह उचित शीघ्रता के साथ मामला में आगे बढ़े विशिष्ट रूप से, इस देश में जहां अधिकांशतः अभियुक्त समाज के अत्यधिक गरीब एवं कमजोर वर्ग से आते हैं, वे लोग विधि के जानकार नहीं हैं, जहां उन्हें अक्सर सक्षम विधिक सलाह प्राप्त नहीं हो पाता, ऐसे में उक्त नियम पूरी तरह से अस्वीकार्य है। बेशक किसी मामले में, यदि कोई आरोपी त्वरित सुनवाई की मांग करता है और फिर भी उसे वह नहीं दिया जाता है, तो उसके पक्ष में एक प्रासांगिक कारक हो सकता है। लेकिन हम एक को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकते कि त्वरित विचारण की उसने मांग नहीं किया या जोर नहीं दिया।

4. इन मुद्दों का इस तथ्यों के लिए महत्वपूर्ण अर्थ है, अपीलार्थी शिकायतकर्ता है कि वर्तमान मामले में जमानत के लिए उसके आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जाना था, यह देखते हुए कि उसे सात साल से अधिक समय तक कारावास का सामना करना पड़ा है और अपराधिक मामला मुश्किल से आधा रास्ता तक पहुंचा है। अपीलार्थी एन0डी0पी0एस0 अधिनियम, 1985 की धारा-20, 25 और 29 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोपी है। दं0प्र0सं0 की धारा-482 के साथ पठित धारा-439 के तहत उनका आवेदन दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत की मांग करने वाली है, जिसे आपेक्षित फैसले द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इस मामले में निर्णय के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गिरफ्तारी के समय अपीलार्थी की आयु 23 वर्ष थी, उसके पास नशीली पदार्थ नहीं पाया गया था, जबकि अन्य सह आरोपियों के पास था।

5. अभियोजन पक्ष का आरोप है दिनांक-28.09.2015 को पुलिस द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर एक छापा मारा गया, जिसमें चार आरोपियों नितेश एक्का, संजय चैहान, सरीफ खान और विरेन्द्र साकियार/साकियाबार उर्फ दीपक के पास से 180 कि0ग्रा0 गांजा बरामद किया गया था और उनके निशानदेही पर उनकी गिरफ्तारी हुई। अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त नितेश एक्का को अन्य सह अभियुक्तों के पहचान हेतु छत्तीसगढ़ ले जाया गया, वर्तमान अपीलार्थी के निशानदेही पर दिनांक-3/4-10-

2015 की मध्य रात्रि में गिरफ्तार किया गया था। जारी अनुसंधान के अनुसंरण में तीन सह अभियुक्त विरेन्द्र सिंह उर्फ विरे, शांतिलाल तिग्गा उर्फ गुड्डू आर नेपाल यादव उर्फ टोनी पहलवान को भी गिरफ्तार किया गया। अभियोजन का मामला यह है कि विरेन्द्र सिंह उर्फ वीरे गांजा खरीदता था तथा उसका पैसा मोहम्मद मुसलिम, शांतिलाल तिग्गा उर्फ गुड्डू और नितेश एक्का तथा उनके मित्र तथा परिवारजनों के बैंक खातों में हस्तान्तरित किया जाता था। दिनांक-29.02.2016 को एन0डी0पी0एस0 की धारा-20, 25 एवं 29 तथा भा0द0वि0 की धारा-120बी. के अन्तर्गत आरोपपत्र समर्पित किया गया तथा दिनांक-05.07.2016 को अपीलार्थी एवं अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप का गठन किया गया। अभिवचन के अनुसार दो पूरक आरोप पत्र भी क्रमशः दिनांक-08.01.2016 एवं 08.11.2017 को समर्पित किया गया था।

6. अपीलार्थी की जमानत आवेदन को जिला अदालतों द्वारा कथित अपराधों की गंभीरता, सजा की गंभीरता और अपीलार्थी की कथित भूमिका के आधार पर खारिज कर दिया गया था। यह नोट किया गया था कि वह अपराध करने के लिए अन्य सह अभियुक्तों के साथ नियमित संपर्क में था और भौतिक गवाहों का अभी परीक्षण किया जाना बाकी है।

7. पीड़ित वर्तमान अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आक्षेपित फैसला में दर्ज किया गया कि वर्तमान आरोपी प्रथमदृष्टया जैसे की कॉल रिकार्ड से संकेत मिलता है एवं अन्य सह अभियुक्तों से नियमित संपर्क और मुख्य अभियुक्त विरेन्द्र सिंह उर्फ विरे के द्वारा अपीलार्थी के बैंक खाता में उसके बैंक खाता से कई बार धन हस्तान्तरित किया गया। सुनवाई के दौरान गवाहों में से एक गवाह ने कथित तौर पर उल्लेख किया कि रुपया पचास हजार वर्तमान अपीलार्थी से प्राप्त किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उसके खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला था और एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा-37 के अपवादों पर भरोसा करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए, नियमित जमानत का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें निचली अदालत को मुकदमा के विचारण में तेजी लाने और छः महीना के भीतर इसे समाप्त करने का निर्देश दिया गया था। पीड़ित अपीलार्थी अब इस अदालत के समक्ष है, नियमित जमानत देने के लिए अपनी याचिका को नवीनीकृत कर रहा है।

8. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री तान्या अग्रवाल ने आग्रह किया कि लंबे कारावास की अवधि का सामना उसे करना पड़ा, जिससे अपीलार्थी जमानत पर मुक्त किये जाने का अधिकारी है। इसके अलावा 34 और गवाहों का परीक्षण किया जाना बाकी है, उच्च न्यायालय के मुकदमा के विचार लाने का निर्देश के बाद से मुकदमा के विचारण में बहुत कम या कोई प्रगति नहीं हुई थी। यह भी बताया गया कि मुख्य आरोपी विरेन्द्र सिंह उर्फ विरे और एक अन्य सह आरोपी नेपाल यादव, दोनों को उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई थी, विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सामानता के आधार पर जमानत का आग्रह किया गया।

9. श्री विक्रमजीत बनर्जी भारत के विद्वान अतिरिक्त सलिसिटर जनरल राज्य की ओर से पेश हुए उन्होंने एन0डी0पी0एस0 की धारा-37 का हवाला देते हुए जमानत देने का कड़ा विरोध किया तथा आग्रह किया कि अपीलार्थी अपराध करने में सक्रिय रूप से शामिल था-कॉल रिकार्ड और बैंक लेन-देन के साथ जो उसे मुख्य आरोपी विरेन्द्र सिंह उर्फ विरे के साथ संलिप्त करता है। अतिरिक्त सलिसिटर जनरल ने कहा ऐसे मामले बहुत ही चिंताजनक हैं, क्योंकि आरोपी व्यक्तियों को मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क में शामिल कहा जाता है, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और उपयोग सामाजिक हित की सुरक्षा अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में चिन्ता से अधिक है, और उन्होंने अपीलार्थी की निरन्तर काराभिरक्षा को उचित ठहराया। एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा-37 जैसे प्रावधानों को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, जो लोकहित को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

आदेश देना और नशीली पदार्थों के लेन-देन जैसे गंभीर अपराधों की पुर्नावृत्ति को रोकना। विद्वान अतिरिक्त सलिसिटर जनरल ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की भूमिका, हांलाकि वह एक प्रमुख सूत्रधार सह अभियुक्त क्योंकि वह छत्तीसगढ़ से मादक पदार्थों और वितरण के पीछे का सूत्रधार प्रतीत होता है। **विश्लेषण और निशकर्ष**

10. एन0डी0पी0एस0 की धारा-37 इस प्रकार है-“अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना- (1)-दं0प्र0सं0-1973 में किसी बात होते हुए भी:-

(क) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध दण्डनीय एवं संज्ञेय होगा। (2) उपधारा (1) के खण्ड (बी) में निरधिष्ठ जमानत देने की सीमा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या किसी अन्य कानून के तहत सीमा के अलावा है।

(ख) कोई अभियुक्त जो इस अधिनियम के अन्तर्गत पांच साल या पांच साल से अधिक कारावास की अवधि के लिए दण्डनीय अपराध का अभियुक्त है, को जमानत पर या निजी मुचलके पर तभी मुक्त किया जायेगा जब- लोक अभियोजक को ऐसी मुक्ति के लिए किये गये आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है और ; जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर मुक्त होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किये जाने की संभावना नहीं है।

11. इस मामले में जैसा कि माना है कि अपीलार्थी समय-समय पर अंतरिम जमानत देने, शादी समारोहों के लिए और अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए को छोड़कर 03.10.2015 से हिरासत में है। यह इस अदालत द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य बनाम् काजत के मामले में एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा-37 पर जोर देते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में “उदार” दृष्टिकोण को अपनाना नहीं जाना चाहिए।

“जमानत की अस्वीकृति धारा-37;1द्ध के खण्ड (ख) के उपखंड(ii); के तहत नियम और इसका अनुदान और अपवाद है। जमानत देने के लिए अदालत को अपने समक्ष प्रस्तुत किये गये अभिलेख के आधार पर यह संतुष्ट होना चाहिए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि आरोपी निम्नलिखित अपराधों का दोषी नहीं है, जिसपर उनपर आरोप लगाया गया है और आगे कहा गया है कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि धारा-37;1 के खण्ड (ख) के उपखंड (1) में निर्दिष्ट जमानत देने की शर्तें द0प्र0सं0 या किसी अन्य के तहत प्रदान की गई सीमाओं के अलावा हैं।

12. इसलिए इस अदालत को एन0डी0पी0एस0 अधिनियम, विशेष रूप से धारा-37 के ढांचे के भीतर अपीलार्थी के दावे पर विचार करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता समिति (विचाराधीन कैदी का प्रतिनिधित्व) बनाम् भारत संघ के मामले में इस अदालत ने एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के तहत अपराधों में अभियुक्तों को जमानत देने से इंकार करने पर विचार करते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये, जिनका वर्तमान मामले पर असर पड़ता है:-

“उक्त प्रावधान की सख्त भाषा के कारण इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के कुछ आरोपी बहुत कम लोग ही जमानत प्राप्त कर सकते हैं”। अब एक और जमानत से इंकार करना और दूसरी ओर मामलों के विचारण में देरी करना स्पष्ट रूप से अनुचित और अकारण है, जो इस अधिनियम की धारा-36(1) द0प्र0सं0 की धारा-309 और संविधान के अनुच्छेद-14, 19 और 21 की भावना के विपरीत है। हम वैधानिक प्रावधानों के बारे में सचेत हैं।

अधिनियम की धारा-37 उन शर्तों को निर्धारित करती है, जिन्हें अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को रिहा करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। वास्तव में हमने इस बात को निर्णय के पूर्व भाग में स्पष्ट किया है। एक सामान प्रावधान पर रखी गई व्याख्या को ध्यान में रखते हुए संविधान पीठ द्वारा टाडा अधिनियम की धारा-20 को करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य ;1994(3) एस.सी.सी. 569 में इस प्रावधान के बावजूद, हमने मुख्य रूप से अनुच्छेद-21 के आहवाहन पर उपरोक्त निर्देश दिया है कि कुछ मामलों में त्वरित सुनवाई का अधिकार भी हो सकता है और अपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की आवश्यकता होती है।

कुल मिलाकर, जैसा इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा ए.आर.अन्तुले बनाम् आर0एस0 नायक ;1992(1) एस.सी.सी. 225 में जमानत पर रिहाई, जिसे त्वरित मुकदमे के विचारण के अधिकार में अन्तर्निहित माना जा सकता है, कुछ मामलों में अनुच्छेद-21 की मांग हो सकती है, जैसा कि हमने चरण निवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक महसूस नहीं किया है, कि कार्यवाही को रद्द किया जाय और

अभियुक्त को रिहा किया जाय। जिनके मुकदमों में पहले से ही बताये गये कारणों से उचित समय से अधिक देरी हुई है। हमने महसूस किया कि त्वरित विचारण सुनिश्चित किये बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना अनुच्छेद 21 द्वारा दिये गये अधिकार के अनुरूप नहीं होगा। बेशक, ऐसे मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कुछ मात्रा में वंचित होने से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर मुकदमे के लंबित रहने से वंचित होना अनुचित रूप से लंबा हो जाता है तो अनुच्छेद 21 द्वारा आश्रित निष्पक्षता को झटका लगेगा। यही कारण है कि हमने महसूस किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों को कारावास झेलने के बाद जो अधिकतम प्रदान की गई सजा का आधा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई भी और अभाव अनुच्छेद-21 द्वारा दिये गये मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, जिसे अनुच्छेद 14 द्वारा सुनिश्चित अधिकार के साथ दूर किया जाना चाहिए जो प्रक्रियात्मक मामले में निष्पक्षता और तर्कसंगतता एवं न्याय का भी वादा है।

13. जब कानून के प्रावधान किसी अभियुक्त के जमानत प्राप्त करने के अधिकार में कटौती करते हैं, और तदनुसार न्यायिक विवेकाधिकार को बाधित करते हैं (जैसे वर्तमान मामले में एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा-37), तो इस न्यायालय ने उन्हें दो प्रतिस्पर्धी मुद्दों, यानि निर्दोषता की धारणा के आधार पर अभियुक्त की स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार और सामाजिक हित के बरकरार रखने की परिकल्पना बामन नारायण घिया बनाम् राजस्थान राज्य में दिया गया है। जमानत की अवधारणा एक ऐसी व्यक्ति के स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की पुलिस के शक्ति के बीच संघर्ष से उभरती है, जिसपर अपराध करने का आरोप है, और कथित अपराधी के पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान है। साथ ही, उन्हें इस शर्त पर बरकरार रखा जाता है कि मुकदमा का विचारण जल्द से जल्द समाप्त हो जाये। करतार सिंह बनाम् पंजाब राज्य के मामले में संविधान पीठ ने इस संबंध में टिप्पणियां की कि साहिन कल्याण ऐसोसियेशन बनाम् भारत सरकार के मामले में पुनः इस मामले में उसी भावना का व्यक्त किया है अर्थात् जब सख्त प्रावधान लागू किये जाते हैं, जमानत के प्रावधानों का कम किया जाता है, और न्यायिक विवेक को सीमित किया जाता है, तो यह इस आधार पर होता है कि अनुसंधान एवं विचारण तेजी से समाप्त किये जाये। अदालत ने कहा कि संसदीय हस्तक्षेप इसपर आधारित है।

“विधायिका द्वारा कुछ हद तक त्याग के लिए एक सचेत निर्णय लिया गया है कि एक विचाराधीन अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता समुदाय और राष्ट्र को आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों या अन्य समाज के लिए हानिकारक गतिविधियों से बचाने के लिए त्याग किया जाता है”। ऐसे अपराधों की अनुसंधान कुशलता से की जाती है और ऐसे गंभीर अपराधों के अभियुक्त व्यक्तियों को विधि के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त संख्या में नामित न्यायालय की स्थापना की गई है। यही एक मात्र तरीका है जिससे समाज को हानिकारक गतिविधियों से बचाया जा सकता है। यह, यह भी सुनिश्चित

करेगा कि लोगों को अंततः पता चल जाए कि निर्दोषों को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जाय।

14. हाल के एक निर्णय में गैरकानूनी अधिनियम (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत जमानत पर विचार करते हुए यह न्यायालय भारत संघ बनाम् के अजीब के मामले में पाया कि-

“12 यहां तक कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम अधिनियम) 1987 या एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 जैसे विशेष कानूनों के मामलों में भी, जिनमें जमानत देने के लिए कुछ कठोर शर्तें हैं, इस अदालत ने परमजीत सिंह बनाम् राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (1999)9 एस.सी.सी.252, बब्बा बनाम् महाराष्ट्र राज्य, (2005)11 एस.सी.सी.569 और उमर मियां बनाम् गुजरात राज्य, (2017)2 एस.सी.सी.731 में अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया, जब वे मुकदमा के जल्द पूरा होने की बहुत कम संभावना के साथ विस्तारित अवधि के लिए जेल में थे। इस प्रकार विशेष अधिनियमों में जमानत के लिए कठोर शर्तों की संवैधानिकता है नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित विचारण की कसौटी मुख्य रूप से न्यायसंगत होगा।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यू.ए.पी.ए. की धारा-43 जैसे वैधानिक प्रतिबंध सैवाधानिक अदालत की जमानत मंजूरी देने की क्षमता को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर बाधित नहीं कर सकते हैं।

15. विजय मदन लाल चौधरी बनाम् भारत संघ के मामले में इस अदालत ने धन सोधन अधिनियम 2002 के संसोधन के तहत जमानत की शर्तों पर विचार करते हुए कहा है कि:-

“यदि संसद/विधान मंडल जमानत न देने के सख्त प्रावधान का प्रावधान करता है, जबतक कि सख्त शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना राज्य का बाध्यकारी कर्तव्य है कि इस तरह के मुकदमों को प्राथमिकता मिले और उचित समय के भीतर समाप्त किया जाय”। कम से कम इससे पहले की आरोपी को कुछ समय के लिए हिरासत में रखा जाय, जिसमें की कानून द्वारा संबंधित अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक विचारण समाप्त हो जाना चाहिए।

16. अभी हाल के निर्णय में, सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम् केन्द्रीय जांच ब्यूरो “लंबे समय तक कैद और अत्यधिक देरी” अदालत का ध्यान आकर्षित करता है

कि जिसने धारा-37 एन0डी0पी0एस0 सहित कई अधिनियमों के संबंध में जमानत के प्रति सही दृष्टिकोण पर विचार किया। अदालत ने राय व्यक्त किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436ए.

(जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की आवश्यकता होती है, यदि मुकदमा निर्दिष्ट अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है) लागू होगी।

“हम व्यक्तिगत अधिनियमों से निपटना नहीं चाहते क्योंकि प्रत्येक विशेष अधिनियम के पीछे एक उद्देश्य होता है, जिसके बाद कठोरता लागू होती है, देरी को नियंत्रित करने वाला सामान्य सिद्धान्त इन श्रेणियों पर भी लागू होगा। यह स्पष्ट करने के लिए, संहिता की धारा 436ए. में निहित प्रावधान किसी विशिष्ट प्रावधान के आभाव में विशेष अधिनियमों पर भी लागू होगा। उदाहरण के लिए एन0डी0पी0एस0 की धारा 37 के तहत प्रदान की गई कठोरता ऐसे मामले में बाधा नहीं बनेगी जैसा कि हम किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मामला पर विचार कर रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि जितनी कठोरता होगी, निर्णय उतनी ही जल्दी होना चाहिए। आखिरकार, इस प्रकार के मामलों में गवाह की संख्या बहुत कम होगी और मुकदमा को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। शायद प्रक्रिया में तेजी लाने और सख्त अनुपालन के लिए न्यायालय के द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 309 में दिये निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है।

17. इस मामले के तथ्यों से पता चलता है गांजे की बरामदगी को वर्तमान अपीलार्थी नितेश एक्का सहित चार सह अभियुक्तों से दिनांक-28.09.2015 को हुई थी। वर्तमान अपीलार्थी को नितेश एक्का के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष वर्तमान अपीलकर्ता के बयान एवं इसके दोष स्वीकारोक्ति बयान पर भरोसा करते हुए विरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ विरे के बैंक विवरणी पर भी भरोसा जताया जिसमें यह आरोपित किया गया कि रूप्यों को अपीलार्थी के खातों में हस्तांतरित किया गया। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी के पास से कुछ भी बरामदगी नहीं किया है। इसका आरोप है कि वह एक सूत्रधार है, मादक पदार्थों के साथ व्यापक लेन-देन के किसी सबूत से समर्पित नहीं है जो उचित रूप से सामने आये हैं। अभियोजन पक्ष ने किसी अन्य मामले में अपीलार्थी की संलिप्तता नहीं दिखाई है। इसके अलावा, गिरफ्तारी के समय वह स्पष्ट रूप से 23 वर्ष का था। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि दो सह अभियुक्त (जो छापे के समय भी मौजूद नहीं थे और जिनसे कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं किया गया था) आरोपी विरेन्द्र सिंह उर्फ विरे जिनसे कथित तौर पर गांजा के भुगतान के रूप में अपीलार्थी के खाता में पैसा हस्तांतरित किये थे और आरोपी नेपाल यादव उर्फ टोनी पहलवान जिनसे मूल बीमा कागजात और पंजीकरण किये गये थे, जिस कार से प्रतिबंधित पदार्थ जप्त किया गया था, उसका प्रमाण पत्र बरामद किया गया था-दोनों को जमानत पर मुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी सात साल चार महीना से अधिक समय से हिरासत में है। मुकदमा की प्रगति धीमी गति से हुई है। तीस गवाहों का परीक्षण किया गया है, जबकि 34 गवाहों का परीक्षण किया जाना है।

18. अदालतों को जिन शर्तों का संज्ञान लेना होगा, वे यह हैं कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि आरोपी “इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है” और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। “दोषसिद्ध नहीं है” का अर्थ है, जब सभी सबूत अदालत के समक्ष नहीं हैं तब यह केवल प्रथमदृष्टया निर्धारण हो सकता है। यह अदालत के विवेकाधिकार को बहुत कम अंतर के भीतर रखता है। जमानत पर सामान्य कानून के आदेश को देखते हुए, जो अपराधों को उनकी गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत करता है और निर्देश देता है कि कुछ गंभीर अपराधों में जमानत आवेदनों पर विचार करते समय अलग-अलग तरीके से निपटा जाना चाहिए, इसके अलावा शर्त यह है कि अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी दोषी नहीं है, उसकी उचित व्याख्या की जानी चाहिए। इसके अलावा विशेष अधिनियमों के तहत अपराधों का वर्गीकरण जो अदालतों द्वारा मुल्यांकन किये जाने के लिए आवश्यक जमानत शर्तों के उपर लागू होता है, के लिए आवश्यक है कि अदालत को इस बात की संतुष्टि हो कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं हो सकता है और जमानत पर मुक्त होने पर उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। ऐसी दोनों स्थितियों में अन्य स्थितियों पर हावी होने का प्रभाव पड़ता है। जिन मामलों में जमानत मांगी जाती है, न्यायालय अभिलेख पर मौजूद सामग्री का आकलन करती है, जैसे अपराध की प्रकृति, आरोपी के जांच में सहयोग करने की संभावना, न्याय से भागने की संभावना: हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों में भी। दूसरी ओर, ऐसे विशेष अधिनियमों के तहत इन मामलों में अदालत को मुख्य रूप से दो तथ्यों को खुदको संबोधित करना होगा: अभियुक्त का संभावित अपराध और रिहाई पर उसके द्वारा कोई अपराध नहीं करने की संभावना। इस अदालत ने आमतौर पर इस आधार पर ऐसी शर्तों को बरकरार रखा है कि ऐसे नागरिकों की स्वतंत्रता-विशेष कानूनों के तहत अधिनियमित अपराधों के मामलों में लोक हित के विरुद्ध संतुलित होनी चाहिए।

19. धारा-37 के तहत शर्तों की एक स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या (यानि कि अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी दोषी नहीं है और कोई अपराध नहीं करेगा) प्रभावी रूप से जमानत के अनुदान की पूरी तरह से बाहर कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप दण्डात्मक निरोध और गैरस्वीकृत निवारक निरोध भी होगा। इसलिए, एक मात्र तरीका जिसमें धारा 37 के तहत अधिनियमित ऐसी विशेष शर्तों पर संवैधानिक मापदंडों के भीतर विचार किया जा सकता है, वह है जहां न्यायालय अभिलेख पर सामग्री पर प्रथमदृष्टया देखने पर यथोचित रूप से संतुष्टि होती है कि आरोपी दोषी नहीं है। किसी अन्य व्याख्या के परिणाम स्वरूप एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 37 के तहत अधिनियमित अपराधों के आरोपित व्यक्ति को जमानत देने से पूरी तरह से इंकार कर दिया जायेगा।

20. इसलिए जिस मानक पर विचार किया जाना चाहिए, वह है, जहां अदालत सामग्री को व्यापक और यथोचित रूप से देखेगी कि क्या अभियुक्त का आरोप साबित हो सकता है, इसलिए इस न्यायालय के

निर्णयों में इस बात का जोर दिया गया है कि अदालतों से जो संतुष्टि दर्ज करने की उम्मीद की जाती है, यानि कि आरोपी दोषी नहीं हो सकता, वह केवल प्रथमदृष्टया एक उचित अध्ययन पर आधारित है, जिसमें जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता नहीं है (जैसा कि इस मामले में कहा गया है)।

भारत संघ बनाम् रतन मलिक के मामले में एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के तहत अपराधों पर लागू होने वाली धारा 436ए. की अनिवार्यता को देखते हुए, मुकदमा में अनुचित देरी के आधार पर जमानत की मंजूरी को धारा 37 द्वारा बाधित नहीं कहा जा सकता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए अदालत की राय है कि इस मामले के तथ्यों में, अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

21. निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले यह प्रतिबिंबित करना महत्वपूर्ण होगा कि जमानत देने के लिए सख्त शर्तें लागू करने वाले कानून सार्वजनिक रूप से आवश्यक हो सकते हैं, फिर भी, यदि विचारण समय पर समाप्त नहीं होते हैं, तो व्यक्ति पर किया गया अन्याय अथाह होगा। जेलों में अत्यधिक भीड़-भाड़ है, उनके रहने की स्थिति अक्सर भयावह होती है। संसद के केन्द्रीय गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 31 दिसम्बर 2021 तक 5,54,034 से अधिक कैदी देश में 4,25,069 की कुल क्षमता के विरुद्ध जेलों में बंद थे। इनमें से 1,22,852 दोषी थे और बाकी 4,27,165 विचाराधीन कैदी थे।

22. अन्यायपूर्ण कारावास का खतरा यह है कि कैदियों को कारावास का खतरा होता है, जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने - ए. कन्विक्ट प्रीजनर बनाम् राज्य में वर्णित किया है को एक उग्र क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में बताया जिसके द्वारा कैदी अपनी पहचान खो देता है। वह एक संख्या से जाना जाता है। वह अपनी व्यक्तिगत संपत्ति खो देता है, उसका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। स्वतंत्रता, स्थिति, संपत्ति, गरिमा व्यक्तिगत जीवन की किसी भी स्वाहिता के नुकसान स्वरूप मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जेल की संस्कृति भयावह हो जाती है, सामान्य मानकों के अनुसार कैदी शत्रु बन जाता है, आत्मबोध बदल जाता है।

23. यहां यह भी खतरा है कि कैदी अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि अपराध केवल प्रशंसनीय नहीं होता है, बल्कि अपराध जितना व्यवसायी होगा, उतना ही अपराधी को सम्मान प्राप्त होगा। कारावास का एक और हानिकारक प्रभाव है-जहां अभियुक्त एक अत्यधिक गरीब समाज से आता है और उसका तत्काल उपलब्ध जीविकोपार्जन समाप्त हो जाता है और वह कई मामलों में परिवार के साथ-साथ परिवारिक संबंधों से भी अलगाव हो जाता है और अपने समाज से कट जाता है।

इसलिए अदालतों को इन पहलुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमे-विशेष रूप से उन मामलों में, जहां विशेष कानून कठोर होते हैं वहां मामलों को तेजी से समाप्त किया जाना चाहिए।

24. उपरोक्त कारणों से अपीलार्थी को जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विचारण न्यायालय लागू करे उपरोक्त शर्तों के साथ अपील की अनुमति दी गई। कोई लागत नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

सत्यप्रकाश